

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्ड

दिनांक	फर्द अहकाम
27 ¹⁰ / ₂₅	<p>पत्रावली पैदा हुई। आर-वार आवाज दिलाने पर भी सायलान् एवं उनके अखिवक्ता उप. नहीं हुए। अतः मु० नं० 63/2022 उन्वान शारदा देवी वनराम हरकेवा पत्रावली पत्र अस्थायी निवेदन आरम पैरी आरम हाजिरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फसल बुमार ठोकर बाद तम्मील नं. सौ कम की जाकर मूल डाँके के साथ शामिल मिसल रहे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>